न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर

प्रकरण क्र.   /2015 निगरानी निगरानी 229-PBR-15

श्री पी. के. तिवारी अभि. द्वारा आज दि. 27-1-15 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रेमा बाई पत्नी श्री जगदीशप्रसाद जाट, मुख्तयारआम हरिओम आत्मज श्री जगदीशप्रसाद निवासी– ग्राम नयापुरा, तहसील हंडिया, जिला हरदा,

.............आवेदक/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. हीराबाई उर्फ हीरामयी राम पत्नी जयनारायण राय निवासी–नयापुरा, तहसील हंडिया, जिला हरदा
2. म.प्र. शासन

.............अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2012 द्वारा पारित तहसीलदार हंडिया के प्रकरण क्र. 29 अ–12/10–11 में पारित

महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 229—पीबीआर / 2015 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.3.16	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदिका की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 20—6—12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी और अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 4—12—12 को आदेश पारित कर सीमांकन कार्यवाही निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना दी जाकर स्थल पर विधिवत् सीमांकन कार्यवाही सम्पादित की जाये एवं आंवेदिका भी उसकी भूमि का सीमांकन करायें । अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 4—12—12 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक 199—एक / 2013 प्रस्तुत हुई जिसमें दिनांक 26—3—2014 को आदेश पारित किया जाकर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की गई है। अतः अब इस निगरानी प्रकरण में सुनवाई की जाकर पृथक से निष्कर्ष निकाले जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदिका को भी अपनी भूमि का सीमांकन कराने की स्वतंत्रता दी गई है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	